न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 133/2023

अनवान : –

1. हाकमअली पुत्र नेक मोहम्मद जाति क्यामखानी मुसलमान निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर।
2. अलीशेर पुत्र नेक मोहम्मद जाति क्यामखानी मुसलमान निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर।

– **वादीगण**

बनाम्

1. फातमा पुत्री लालखां जाति क्यामखानी मुसलमान निवासी नोहर तहसील नोहर।
2. वजीरा पुत्री लालखां जाति क्यामखानी मुसलमान निवासी नोहर तहसील नोहर।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता **वादी**
पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः 06/02/26

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा मन्दरपुरा तहसील नोहर के खाता सं. 108/106 के ख.न. 1001 की 49.15 बीघा ख.न. 1025 हकी 43.13 बीघा भूमि ख.न. 1033 की 8. 08 बीघा कुल 101.16 बीघा भूमि स्थित है जिसमें सयुक्त रूप से सकीना पुत्री लिलू खां जाति मुसलमान क्यामखानी साकिन मन्दरपुरा तहसील नोहर में से 1/3 हिस्सा में से 1/5 हिस्सा भूमि की सह खातेदार काश्तकार थी। रोही मौजा मन्दरपुरा तहसील नोहर के खाता सं. 108/106 की कुल तादादी 101.16 बीघा भूमि में से सयुक्त रूप से अपने नाम दर्ज सकीना पुत्री लालखां जाति मुसलमान साकिन नोहर ने अपने हक व हिस्से की 6.15, 3/5 हिस्सा भूमि दिनांक 24/02/1999 को समस्त प्रतिफल प्राप्त कर वादीगण के पक्ष में वैयनामा निस्पादित करवा दिया तथा वादीगण को मौके पर बैय की भूमि का कब्जा सम्भला दिया

रोही मौजा मन्दरपुरा तहसील नोहर के खाता सं. 108/106 की कुल तादादी 101.16 बीघा भूमि में से सयुक्त तौर से सकीना पुत्री लाल खां द्वारा कृषि भूमि बैय करने के बाद 6.15, 3/5 हिस्सा भूमि का वादीगण के नाम कृषि भूमि दर्ज कर दी गई एवं वादीगण वादग्रस्त कृषि भूमि का काश्त करते आ रहे है तथा वाद भूमि जरिये नामान्तरण सं. 727 दिनांक 08/07/1999 के आधार पर वादग्रस्त भूमि वादीगण के नाम दर्ज हो चुकी है।

रोही मौजा मन्दरपुरा तहसील नोहर के खाता सं. 108/106 की कुल तादादी 101.16 बीघा भूमि में सहखातेदार रमजान एवं लियाकत खां पुत्र बक्सुखां जाति मुसलमान साकिन नोहर द्वारा अपने हक व हिस्सा सयुक्त रूप से 2/15 हिस्सा देवीलाल, शंकरलाल, अशोक कुमार, कमल किशोर पि. रामजस जाति ब्राहमण को अपने हक व हिस्से का बैचा कर दिया तथा उपरोक्त बैचान के आधार पर नामान्तरण संख्या 697 दिनांक 14/09/1998 तस्दीक हुआ तथा उपरोक्त नामान्तरण में राजस्व विभाग के कर्मचारियों द्वारा काट–छांट कर दिये गये तथा हिस्से की वअमत वच्पद कर हिस्से कॉट छॅाट का अशुद्ध हिस्से दर्ज कर दिये गये जमाबन्दी रोही मौजा मन्दरंपुरा तहसील नोहर में वादीगण के हिस्से नामान्तरण में कॉट काट होने के कारण

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.03.04 12:43:17 IST
Reason: SelfAttested

Rahul.

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

हिस्से कम दर्ज कर दिये गये तथा वर्तमान में वादीगण सं. 1 व 2 के नाम केवल 0.096 ब.हि.ब. यानि प्रत्येक के 48/25735 हिस्स दर्ज कर रखे है जबकि सकिना की बहिन फातमा एवं बजीरा पुत्रीयान लाल खां जाति मुसलमान के हिस्से ज्यादा कर दिया तथा फातमा सकीना वजीरा पुत्रीया लाल खां तीनो के नाम नामान्तरण दर्ज पुनः कर दिया एवं फातमा द्वारा अपने नाम दर्ज 6.16 बीघा भूमि में से अपने हक व हिस्से 5.13 बीघा भूमि देवीलाल शंकरलाल अशोक कुमार कमल किशोर पुत्रगण रामजस जाति ब्राहमण साकिन मन्दरपुरा तहसील नोहर को बैय कर दी एवं बैयनामा के आधार पर नामान्तरण संख्या 904 दिनांक 16/10/2003 दर्ज हो गया एवं फातमा के नाम शेष 1.03 बिस्वा भूमि शेष रही है परन्तु वर्तमान जमाबन्दी में वादीगण के हिस्से कम करके फातमा यानि प्रतिवादी सं. 1 के नाम 6.19 बीघा भूमि दर्ज कर रखी है तथा वादीगण केवल 0.07 बिस्वा जमीन दर्ज कर रखी है इसलिए वादीगण प्रतिवादी सं. 1 व 2 के नाम दर्ज हक व हिस्से में से कम करवाकर वादग्रस्त भूमि अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

रोही मौजा मन्दरपुरा तहसील नोहर के खाता सं. 58/57 की कुल तादादी 25.7350 हैक्टर भूमि में से वादीगण ब.हि.ब. 1.7204 हैक्टर एवं प्रतिवादी सं. 1 अकेली 0.29095 हैक्टर एंव प्रतिवादी सं. 2 अकेली 1.61065 हैक्टर भूमि की खातेदार काश्तकार रहेगी। तथा इसी अनुसार जमाबन्दी दुरूस्त करवाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करवापाने के अधिकारी है। इसी अनुसार वादीगण न्यायालय से घोषणा करवा पाने के अधिकारी है यही बिनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादीगण को काफी मर्तबा कहा कि वो वाद भूमि का वादीगण की हिस्सा कस्सी सही दर्ज है उसको वादीगण के नाम दर्ज करवा देवे तथा वर्तमान जमाबन्दी संशोधित कर देवे आदि–आदि जिस पर प्रतिवादीगण कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे बिल आखिरकार बमुकाम रोही मौजा मन्दरपुरा तहसील नोहर कतई इन्कार हो गये लिहाजा यही बिनाय मुखास्मत है।

रोही मौजा मन्दरपुरा तहसील नोहर के खाता सं. 58/57 की कुल तादादी 25. 7350 हैक्टर भूमि में से वादीगण ब.हि.ब. 1. 7204 हैक्टर एवं प्रतिवादी सं. 1 अकेली 0.29095 हैक्टर एंव प्रतिवादी सं. 2 अकेली 1.61065 हैक्टर भूमि की खातेदार काश्तकार रहेगी। तथा इसी अनुसार जमाबन्दी दुरूस्त करवाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करवापाने के अधिकारी है। इसी अनुसार वादीगण न्यायालय से घोषणा करवा पाने के अधिकारी है

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 ता 2 को सम्यक नोटिस तामील होने के बाद भी उपस्थित नही अत प्रतिवादी स0 1 ता 2 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लायी गयी। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य नवीनतम जमाबंदी, चित्रप्रति बैयनामा दिनांक 24.02.1999, प्रमाणित प्रतिलिपी जमाबंदी रोही मौजा मन्दरपुरा तहसील नोहर सम्वत 2072–75, रोही मौजा मन्दरपुरा तहसील नोहर के खाता स0 58/57 पेश किये जो की शामिल मिसल किये गये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.03.04 12:43:17 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण में प्रतिवादी[illegible] होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश [illegible] जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात [illegible]पक्षों की बहस सुनी गई।

Rahul.

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि रोही मौजा मन्दरपुरा तहसील नोहर के खाता सं. 108/106 की कुल तादादी 101.16 बीघा भूमि में सहखातेदार रमजान एवं लियाकत खां पुत्र बक्सुखां जाति मुसलमान साकिन नोहर द्वारा अपने हक व हिस्सा सयुक्त रूप से 2/15 हिस्सा देवीलाल, शंकरलाल, अशोक कुमार, कमल किशोर पि. रामजस जाति ब्राहमण को अपने हक व हिस्से का बैचा कर दिया तथा उपरोक्त बैचान के आधार पर नामान्तरण संख्या 697 दिनांक 14/09/1998 तस्दीक हुआ तथा उपरोक्त नामान्तरण में राजस्व विभाग के कर्मचारियों द्वारा काट-छांट कर दिये गये तथा हिस्से की वअमत वचपद कर हिस्से कॉट छॉट का अशुद्ध हिस्से दर्ज कर दिये गये जमाबन्दी रोही मौजा मन्दरपुरा तहसील नोहर में वादीगण के हिस्से नामान्तरण में कॉट काट होने के कारण हिस्से कम दर्ज कर दिये गये तथा वर्तमान में वादीगण सं. 1 व 2 के नाम केवल 0.096 ब.हि.ब. यानि प्रत्येक के 48/25735 हिस्स दर्ज कर रखे है जबकि सकिना की बहिन फातमा एवं बजीरा पुत्रीयान लाल खां जाति मुसलमान के हिस्से ज्यादा कर दिया तथा फातमा सकीना वजीरा पुत्रीया लाल खां तीनो के नाम नामान्तरण दर्ज पुनः कर दिया एवं फातमा द्वारा अपने नाम दर्ज 6.16 बीघा भूमि में से अपने हक व हिस्से 5.13 बीघा भूमि देवीलाल शंकरलाल अशोक कुमार कमल किशोर पुत्रगण रामजस जाति ब्राहमण साकिन मन्दरपुरा तहसील नोहर को बैय कर दी एवं बैयनामा के आधार पर नामान्तरण संख्या 904 दिनांक 16/10/2003 दर्ज हो गया एवं फातमा के नाम शेष 1.03 बिस्वा भूमि शेष रही है परन्तु वर्तमान जमाबन्दी में वादीगण के हिस्से कम करके फातमा यानि प्रतिवादी सं. 1 के नाम 6.19 बीघा भूमि दर्ज कर रखी है तथा वादीगण केवल 0.07 बिस्वा जमीन दर्ज कर रखी है इसलिए वादीगण प्रतिवादी सं. 1 व 2 के नाम दर्ज हक व हिस्से में से कम करवाकर वादग्रस्त भूमि अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। रोही मौजा मन्दरपुरा तहसील नोहर के खाता सं. 58/57 की कुल तादादी 25.7350 हैक्टर भूमि में से वादीगण ब.हि. ब. 1.7204 हैक्टर एवं प्रतिवादी सं. 1 अकेली 0.29095 हैक्टर एंव प्रतिवादी सं. 2 अकेली 1.61065 हैक्टर भूमि की खातेदार काश्तकार रहेगी। तथा इसी अनुसार जमाबन्दी दुरूस्त करवाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करवापाने के अधिकारी है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादीगण का कथन है कि रोही मौजा मन्दरपुरा तहसील नोहर के खाता सं. 108/106 की कुल तादादी 101.16 बीघा भूमि में सहखातेदार रमजान एवं लियाकत खां पुत्र बक्सुखां जाति मुसलमान साकिन नोहर द्वारा अपने हक व हिस्सा सयुक्त रूप से 2/15 हिस्सा देवीलाल, शंकरलाल, अशोक कुमार, कमल किशोर पि. रामजस जाति ब्राहमण को अपने हक व हिस्से का बैचा कर दिया तथा उपरोक्त बैचान के आधार पर नामान्तरण संख्या 697 दिनांक 14/09/1998 तस्दीक हुआ तथा उपरोक्त नामान्तरण में राजस्व विभाग के कर्मचारियों द्वारा काट-छांट कर दिये गये तथा हिस्से की वअमत वचपद कर हिस्से कॉट छॉट का अशुद्ध हिस्से दर्ज कर दिये गये जमाबन्दी रोही मौजा मन्दरपुरा तहसील नोहर में वादीगण के हिस्से नामान्तरण में कॉट काट होने के कारण हिस्से कम दर्ज कर दिये गये तथा वर्तमान में वादीगण सं. 1 व 2 के नाम केवल 0.096 ब.हि.ब. यानि प्रत्येक के 48/25735 हिस्स दर्ज कर रखे है जबकि सकिना की बहिन फातमा एवं बजीरा पुत्रीयान लाल खां जाति मुसलमान के हिस्से ज्यादा कर दिया तथा फातमा सकीना वजीरा पुत्रीया लाल खां तीनो के नाम नामान्तरण दर्ज पुनः कर दिया एवं फातमा द्वारा अपने नाम दर्ज 6.16 बीघा भूमि में से अपने हक व हिस्से 5.13 बीघा भूमि देवीलाल शंकरलाल अशोक कुमार कमल किशोर पुत्रगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.03.04 12:43:17 IST
Reason: SelfAttested

Rahul.

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

रामजस जाति ब्राहमण साकिन मन्दरपुरा तहसील नोहर को बेय कर दी एवं बैयनामा के आधार पर नामान्तरण संख्या 904 दिनांक 16/10/2003 दर्ज हो गया एवं फातमा के नाम शेष 1.03 बिस्वा भूमि शेष रही है परन्तु वर्तमान जमाबन्दी में वादीगण के हिस्से कम करके फातमा यानि प्रतिवादी सं. 1 के नाम 6.19 बीघा भूमि दर्ज कर रखी है तथा वादीगण केवल 0.07 बिस्वा जमीन दर्ज कर रखी है इसलिए वादीगण प्रतिवादी सं. 1 व 2 के नाम दर्ज हक व हिस्से में से कम करवाकर वादग्रस्त भूमि अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। रोही मौजा मन्दरपुरा तहसील नोहर के खाता सं. 58/57 की कुल तादादी 25.7350 हैक्टर भूमि में से वादीगण ब.हि. ब. 1.7204 हैक्टर एवं प्रतिवादी सं. 1 अकेली 0.29095 हैक्टर एंव प्रतिवादी सं. 2 अकेली 1.61065 हैक्टर भूमि की खातेदार काश्तकार रहेगी तथा इसी अनुसार जमाबन्दी दुरूस्त करवाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करवापाने के अधिकारी है। वादी द्वारा नामान्तरण गलत दर्ज होने का कथन किया गया है कि नामान्तरण राजस्व कार्मिकों द्वारा गलत दर्ज किया गया है वादीगण नामान्तरण को सही दर्ज करवाने का अनुतोष इस न्यायालय से पाने का अधिकारी नही है। नामान्तरण के अनुतोष हेतु वादीगण सक्षम न्यायालय में चाराजोही हेतु स्वतंत्र है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों के अभाव में साबित नही होने के कारण खारिज योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों के अभाव में साबित नही होने के कारण खारिज किया जाता है। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक ....06/02/26.... को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.03.04 12:43:17 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 133/2023

अनवान : –

1. हाकमअली पुत्र नेक मोहम्मद जाति क्यामखानी मुसलमान निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर।
2. अलीशेर पुत्र नेक मोहम्मद जाति क्यामखानी मुसलमान निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर।

– **वादीगण**

बनाम्

1. फातमा पुत्री लालखां जाति क्यामखानी मुसलमान निवासी नोहर तहसील नोहर।
2. वजीरा पुत्री लालखां जाति क्यामखानी मुसलमान निवासी नोहर तहसील नोहर।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 133 सन 2023 निर्णय दिनांक 06/02/26

आज यह वाद मुझ राहुल श्रीवास्तव उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादीगण श्री नरेन्द्र किशोर जोशी एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों के अभाव में साबित नही होने के कारण खारिज किया जाता है।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 06/02/26 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.03.04 12:43:17 IST
Reason: SelfAttested